GPS Map Camera

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 01.05.2024

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 119/24 से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 119/2024 धारा- 364/394/332/353/504/506 भादवि व 3(2)(5) SC/ST Act से सम्बन्धित 01. विपिन दीक्षित पुत्र राम विलास दीक्षित नि0 अम्बेडकर नगर थाना कादरीगेट, 02. अमित कुमार शुक्ला पुत्र रामदत्त शुक्ला निवासी श्यानगर थाना कादरीगेट, 03. जितेन्द्र अग्निहोत्री पुत्र विजय अग्निहोत्री निवासी ग्राम कछेलिया थाना पाली जनपद हरदोई को आज दिनांक 01.05.2024 मसेनी चौराहा कैन्ट रोड थाना कादरीगेट से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. विपिन दीक्षित पुत्र राम विलास दीक्षित नि0 अम्बेडकर नगर थाना कादरीगेट।
2. अमित कुमार शुक्ला पुत्र रामदत्त शुक्ला निवासी श्यानगर थाना कादरीगेट।
3. जितेन्द्र अग्निहोत्री पुत्र विजय अग्निहोत्री निवासी ग्राम कछेलिया थाना पाली जनपद हरदोई।

घटना का विवरण:- दिनांक 28.04.2024 अभियुक्तगण द्वारा रोडवेज बस स्टैण्ड फर्रुखाबाद पर प्राइवेट बस सं0 UP 82 T 0515 में अवैध तरीके से सवारी भरे जाने के कारण बस स्टैशन प्रभारी /वादी मुकदमा श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा सवारी भरने से मना किया गया था जिस कारण अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ गाली गलौज व जाति सूचक शब्दो का प्रयोग कर मारपीट करते हुए प्राइवेट बस सं0 UP 82 T 0515 में डालकर ले गये थे। वादी मुकदमा की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 119/2024 धारा 364/394/332/353/504/506 भादवि व 3(2)(5) SC/ST Act पंजीकृत हुआ था । विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी श्री प्रदीप सिंह द्वारा संपादित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वह प्राइवेट बस सं0 UP 82 T 0515 का संचालन करते है दिनांक 28.04.2024 को बस स्टैण्ड फर्रुखाबाद के सामने से बस में सवारियां भर रहे थे तभी मौके पर बस स्टैण्ड प्रभारी जितेन्द्र सिंह द्वारा सवारियां भरने का विरोध किया था और वीडियो बनाने लगे तो हम लोगो को गुस्सा आ गया था। तो हमने गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए उनके साथ मारपीट कर दी थी और बस में डालकर ले गये थे।

अभियुक्त विपिन दीक्षित एवं जितेन्द्र अग्निहोत्री का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 119/2024 धारा 364/394/332/353/504/506 भादवि व 3(2)(5) SC/ST Act थाना कादरीगेट

अभियुक्त अमित कुमार शुक्ला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 119/2016 मु0अ0सं0 279/337/338/427 भादवि थाना राजेपुर
2. मु0अ0सं0- 119/2024 धारा 364/394/332/353/504/506 भादवि व 3(2)(5) SC/ST Act थाना कादरीगेट

गिरफ्तार करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस :-

1. प्र0नि0 अवध नारायण पाण्डेय फर्रूखाबाद
2. का0 गौरव कुमार
3. का0 अनुज कुमार
4. का0 संजय कुमार चालक

मीडिया सेल फतेहगढ।